रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 314] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 1985/ आषाढ़ 27, 1907
No. 314] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 1985/ASADHA 27, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1985

अधिसूचना

सं. 168/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 592 (अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना

सं. 38/73—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 मार्च, 1974 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"4.	एक्रिलिक शीटें	यदि निम्नलिखित किन्हीं सामग्रियों या उनके संयोजन से उत्पादित हों, अर्थात् : (i) उक्त मद सं. 15 क की उपमद (1) के अंतर्गत आने वाले कृत्रिम रेजिन या प्लास्टिक सामग्री किसी भी रूप में, (ii) प्लास्टिक की रद्दी ; (iii) मिथाइल मेथाक्राइलेट मोनोमर, जिन पर उक्त अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ़ अधिनियम 1975 (1975 का 51) के अधीन अतिरिक्त शुल्क पहले ही संदत्त कर दिया गया है।"

[फा. सं. 352/3/85-टी०आर०यू०]

के. एस. वेंकटगिरि, अवर सचि

स्पष्टीकरण टिप्पण – उक्त अधिसूचना का आशय अधिसूचना सं. 38/73 के उ. तारीख 1-3-73 में संशोधन करना है जिससे उत्पाद शुल्क की छूट को भारत में विनिर्मित एक्रिलिक शीटों तक सीमित किया जा सके।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th July, 1985

NOTIFICATION

NO. 168/85—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 592 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 38/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973, namely:—

In the Table annexed to the said notification for S. No. 4 and the entires relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"4.	Acrylic sheets	If produced out of any of the following materials or a combination thereof, namely:— (i) artificial resins or plastic materials in any form falling under sub-item (1) of the said Item No. 15A, (ii) scrap of plastics, (iii) methyl methacrylate monomer, on which the appropriate duty of excise under the said Act or the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has already been paid."

[F.NO.352/3/85-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

Explanatory Note:—The above notification seeks to amend notification 38/73-CE dated 1-3-73 so as to restrict the excise exemption to acrylic sheets manufactured in India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUPLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985